श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्): (क) श्रम मंत्रालय को कुशल श्रमिकों की उपलब्धता संबंधी किए गए ऐसे किसी तुलनात्मक अध्ययन की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान, किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का क्रमशः 8.3% तथा 15.6% प्रतिशत था, जिसे "औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में उपार्जित कोई विपणन योग्य अधिशेषता तथा जिसका वस्तुतः विपणन किया गया हो या जिसका विपणन किए जाने का विचार हो" के रूप में परिभाषित किया गया।

(ग) और (घ) 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर कुशल रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, 69.8 लाख होने का अनुमान है।

(ङ) कौशल विकास तथा देश में कौशल को बढ़ावा देने हेतु लगभग 3083 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (31.7.1996 की स्थिति के अनुसार) तथा शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से समस्त देश में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

खानों को पट्टे पर देने से संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्ताव

2368. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, मध्य प्रदेश और मणिपुर सरकारों की खानों को पट्टे पर देने से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कब से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) खनिज रियायतें, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों से उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायत देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनको कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करके निपटाया जाता है। केन्द्र सरकार का अनुमोदन शीघ्र देने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के पास मणिपुर सरकार का खनिज रियायतें देने संबंधी कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं पड़ा है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 में (31.12.96 तक) मध्य प्रदेश के क्रमशः 180 और 53 मामले और वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान गुजरात के क्रमशः 6 और 16 मामले निपटाये गए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकारों से पूरी सूचना देने के लिए कहा जाता है।

खनिजों की खोज

2369. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के अहमदाबाद, कच्छ, पंचमहल और सौराष्ट्र क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने भंडार हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में खनिज संपदा की खोज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य में खनिजों की समुचित खोज करने के लिए कोई निश्चित नीति और कार्यक्रम तैयार करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) अहमदाबाद, कच्छ, पंचमहल और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जिन खनिज भंडारों का पता लगाया गया है वे विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) कोई भी गवेषण/विदोहन अधिकरण खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों और भारत सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज भंडारों का विदोहन कर सकता है।

विवरण

कच्छ, पंचमहल, सौराष्ट्र और अहमदाबाद में खोजे गए खनिज भंडार (1.4.1990 की स्थिति के अनुसार स्रोत आई बी एम)

इकाई : 000 टन

जिला / खनिज	साबित	सम्भाव्य	संभावित	कुल
अमरेली				
बाक्साइट	7	1	—	8
केल्साइट	—	—	5	5
बेंटोनाइट	—	—	616	616
चूनापत्थर	—	44235	175397	219632
चाइनाक्ले	—	—	22156	22156
भावनगर				
बाक्साइट	100	—	410	510
बेन्टोनाइट	—	2990	34010	37000
डायटोमाइट	—	—	25	25
डोलोमाइट	—	—	6	6
जिप्सम	—	—	38	38
चूनापत्थर	—	192500	226561	419061
ओंकर	—	—	2217	2217
जामनगर				
बाक्साइट	13964	2774	23262	40000
बेंटोनाइट	421	—	—	421
जिप्सम	—	—	4358	4358
चूनापत्थर	82219	7594	8118	97931
जूनागढ़				
बाक्साइट	4	—	15662	15666
चाइनाक्ले	—	—	402	402
जिप्सम	—	—	3262	3262
चूनापत्थर	1574	637766	249126	888466
कच्छ				
बालक्ले	—	—	50	50
बाक्साइट	21834	66	11760	33660
बेन्टोनाइट	1744	—	48564	50308
चाइनाक्ले	—	—	535	535
फायरक्ले	—	—	10	10
जिप्सम	—	—	2198	2198
चूनापत्थर	—	—	5870999	5870999
ओंकर	—	—	50	50
क्वाटिज एंड सिलिकासैंड	—	—	2861	2861

जिला / खनिज		साबित	सम्भाव्य	संभावित	कुल
अहमदाबाद					
पंचमहल	यह थिक एल्यूवियम द्वारा अंडर लेन है।				
ग्रेफाइट		—	17	—	17
चूनापत्थर		4340	9195	114860	128395
मैगनीज अयस्क		—	—	1090	1090
क्वार्ट्ज एंड सिलिकासैंड		8	951	6527	7486
फास्फेट / फास्फोराइट		—	—	19	19
राजकोट					
फायरक्ले		—	215	27310	27525
ग्रेफाइट		—	17	—	17
चूनापत्थर		—	—	7118	7118
सुंदरगढ़					
फायरक्ले		34	26	46995	47055
क्वार्टिज एंड सिलिकासैंड		1610	3145	4494	9249

सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरैली और भावनगर जिले शामिल हैं।

Guidelines for attracting foreign investment in mining sector

2370. DR. B.B DUTTA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have issued fresh guidelines to attract private investments including foreign capital in the exploration and mining fields;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the response of the foreign mining giants?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (c) The Central Government in October, 1996 have issued guidelines for grant of large areas for Prospecting Licences. As per these guidelines, an applicant can be granted upto a maximum of 10,000 Sq.Kms. for the whole country for the purposes of aerial prospecting. The Central Government would consider the request after the State Governments recommend the applications to the Central Government. The guidelines have inbuilt scheme of steep relinquishment so that the area left with an applicant for detailed Prospecting at the end of three years is only 25 Sq. Kms. The guidelines also provides for specific expenditure commitments on the part of the applicant besides aerial prospecting.

The Government have allowed automatic approval route for foreign equity participation upto 50% for mining of Iron ore, Manganese ore, Chromite, Bauxite, Copper ore, Lead and Zinc ores besides some non metallic minerals. Further the Govt. have allowed automatic approval route for foreign equity upto 74% for services incedental to mining activity for certain minerals but excluding gold, silver and precious/semi precious stones. Higher equity participation not covered under automatic route will continue to be considered on case to case basis as before.